अति आवश्यक /समयबद्ध

संख्या-13/2016/491/35-3-2016-1(51)/2015

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

समस्त जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक 24 फरवरी, 2016**

विषय: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के क्षेत्र कार्य का समापन एवं निर्धारित समय-सीमा में गणना ब्लॉक सार की ऑनलाइन प्रविष्टि करवाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- डीसीओ-यूपी/35-2011/एनपीआर-50 दिनांक 12/02/2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके जनपद का क्षेत्रीय कार्य अधिसूचित अवधि दिनांक 16 दिसम्बर 2015 से 15 जनवरी 2016 के मध्य पूर्ण होने के 40 दिवस उपरांत भी तददिनांक तक पूर्ण होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसे समीक्षा के दौरान शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है। जैसा की आप अवगत हैं कि इसके अतिरिक्त उक्त कार्य के संबंध में कार्य पूर्ति से संबन्धित आंकड़ो को राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर परिलक्षित करने हेतु गणना ब्लॉक सार की ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य भी किया जाना है।

अनुरोध है कि आप अपने जिले में एनपीआर के क्षेत्रीय कार्य एवं एनपीआर बुकलेट चार्ज स्तर पर जमा करवाने के कार्य को दिनांक 29 फरवरी 2016 तर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। इसकी सूचना शासन को तथा जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को दिनाँक 01 मार्च 2016 को फैक्स/इमेल द्वारा प्रेषित करवाएँ। इसके अतिरिक्त गणना ब्लॉक सार की ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य दिनांक 12 मार्च 2016 तक पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। यदि किसी चार्ज अधिकारी के स्तर पर इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही परिलक्षित होती है तो अपने स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-13/2016/491(1)/35-3-2016,तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री एस के चक्रवर्ती, अतिरिक्त रजिस्ट्रार जनरल (नागरिकता पंजीकरण), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय,2/A मानसिंह रोड,नई दिल्ली।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को उनके पत्रांक-डीसीओ-यूपी/35-2016/NPR-59,दिनांक 22-02-2016 के संदर्भ में।

आज्ञा से,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

http://sh sanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।